Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ चित्तौड़गढ़ में पटवारी 4 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, *23 अगस्त, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज चित्तौड़गढ़ में कार्यवाही करते हुये झाबरमल पटवारी पटवार हल्का मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने दलाल पुष्कर अहीर को दी गई, जो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में झाबरमल पटवारी पटवार हल्का मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती सोनू शेखावत** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। आरोपी झाबरमल पुत्र श्री रामेश्वरलाल निवासी मुकाम पोस्ट रतनपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल पटवारी पटवार हल्का मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा परिवादी से **4 हजार रूपये** रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने दलाल पुष्कर अहीर पुत्र श्री नानालाल निवासी मोरवन, पुलिस थाना मंगलवाड़ जिला चित्तौड़गढ़ (प्राईवेट व्यक्ति) को दी। आरोपी का दलाल पुष्कर अहीर मौके से रिश्वत राशि लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी पटवारी को प्रकरण में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।